(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य्र उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थानाध्यक्ष सरधुवा श्री राम सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अजहर जमाल तथा उनके हमराहीगण द्वारा आरोपी अभियुक्त शैलेन्द्र सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम भदेदू थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट उम्र 38 वर्ष को 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरधुवा में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

01 अदद देशी तमंचा 315 बोर

02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री अजहर जमाल

2.उ0नि0 अनिल कुमार सिंह

3.मुख्य आरक्षी बृजेन्द्र कुमार

4.आरक्षी दीपक कुमार

(3).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 04 अभियुक्तों को 82 पाउच अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया।

(i). उ0नि0 श्री मुन्नीलाल मय हमराह आरक्षी राकेश कुमार थाना मऊ द्वारा अभियुक्त राजकुमार पुत्र नत्थू रैदास निवासी चंदई मजरा तिलौली थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 24 पाउच अवैध देशी शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(ii). उ0नि0 श्री इमरान खां मय हमराह आरक्षी विवेक कुमार थाना मऊ द्वारा अभियुक्त रामकिशोर पुत्र स्व0 रामबहोरी निवासी मनकुवांर थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 22 पाउच अवैध देशी शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(iii). उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार सिंह मय हमराह मुख्य आरक्षी वीरेन्दर कुमार थाना मारकुण्डी द्वारा अभियुक्त विनोद उर्फ लाला कोल पुत्र सीताराम कोल निवासी गहिरा महुली खेर थाना मझगवां जनपद सतना म0प्र0 को 18 पाउच देशी शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना मारकुण्डी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(iv). उ0नि0 श्री सुभाष चन्द्र उपाध्याय मय हमराह आरक्षी मंगला प्रसादस थाना मारकुण्डी द्वारा अभियुक्त अर्जुन वर्मा पुत्र जवाहरलाल निवासी तालाब टोला मझगवां थाना मझगवां जनपद सतना म0प्र0 को 18 पाउच देशी शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना मारकुण्डी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(4) श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकुपर श्री निशिकान्त राय एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी अजय तथा प्रभारी मॉनिटिरिंग सेल की टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो चित्रकूट श्री तेजप्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के

फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायधीश पॉक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती रेनु मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 20.04.2026 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं द्वारा थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 73/21 धारा 452,354 आईपीसी व 9m/10 पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त जग्गू कोल पुत्र मुन्ना कोल निवासी वाल्मिक नगर पश्चिमी मानिकपुर थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट 05 वर्ष के कठोर कारावास और 05 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

घटना का विवरणः- दिनांक 07.07.2021 को थाना मानिकपुर अन्तर्गत निवासी एक वादी द्वारा मानिकपुर पर सूचना दी कि अभियुक्त जग्गू कोल उपरोक्त द्वारा उसकी नाबालिक पुत्री के साथ बुरी नियत से घर में घुसकर अश्लील हरकत करना सूचना पर थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 मु0अ0स0 73/21 धारा 354,452 आईपीसी व 9m/10 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री दिनेश कुमार सिंह द्वारा सम्पादित की गयी। दिनाँक 11.07.2021 में अभियुक्त की गिरफ्तारी कर दिनाँक 10.08.2021 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।